UPSB010054282024

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र

पीठासीन-राम सुलीन सिंह, एच.जे.एस., UP1886

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या- 519/2024

चित्रसेन सिंह पुत्र स्व० राजबहादुर सिहं, निवासी फत्तूपुर, थाना सिकरारा, जनपद जौनपुर। हाल पता- हेड जेलवार्डर, जिला कारागार अम्बेडकरनगर, उ०प्र०

बनाम

1. अरकांश बरनवाल पुत्र अनुप कुमार बरनवाल, निवासी 359 जे० ज्ञानेन्द्र नगर, अलहदादपुर, वार्ड नं० 33 गोरखपुर। हाल पता- एस.बी.आई. पर्सनल बैंकिंग ब्रांच, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र।
2. उत्तर प्रदेश सरकार।

दिनांक - 14.07.2026

1. आवेदक/वादी चित्रसेन की तरफ से आवेदन पत्र धारा 439(2) दं0 प्र 0 सं0/483(3) बी.एन.एस.एस के अन्तर्गत अभियुक्त अरकांश बरनवाल, जिसकी जमानत इस न्यायालय के आदेश द्वारा अ 0 सं0-822/2020, धारा 419, 420, 467, 468, 469, 471 भा0 दं0 सं0, थाना रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र के प्रकरण में दिनांक 06.08.2021 को स्वीकार की गयी है, के निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि मुकदमा वादी चित्रसेन सिंह (जेल वार्डर) जेल कालोनी घुर्मा, जिला जेल, सोनभद्र द्वारा थाने पर इस आशय का तहरीर दिया गया कि उसका पर्सनल बैंकिंग ब्रान्च राबर्ट्सगंज S.B.I. निकट रोडवेज के पास सोनभद्र में बचत खाता है जो कि प्रति महीने सैलरी जाती है। SBI P.B.B. राबर्ट्सगंज एवं SBI जनरल इश्योरेंस वाराणसी द्वारा फर्जीवाड़ी/धोखाधड़ी करते हुए लोन एकाउन्ट नं0 37092825374 में Rs. 4697 धनराशि को उसके ऊपर कर्ज के रूप में बढ़ाते हुए निकासी कर लिया। पालिसी पेपर में उसके सिग्नेचर, नामिनी और स्थान फर्जी रूप में भरे गये है जो कि असंवैधानिक एवं अपराधिक कार्य है। पर्सनल बैंकिंग ब्रान्च राबर्ट्सगंज के शाखा प्रबन्धक महोदय द्वारा फर्जी पालिसी बान्ड की छाया प्रति दी गयी जो कि उसके पास है। फर्जीवाड़ा के सम्बन्ध में वर्तमान

शाखा प्रबन्धक महोदय को जानकारी है लेकिन इनके पूर्व का प्रकरण उपरोक्त है। उपरोक्त फर्जीवाड़ा से उसके लोन का अधिभार बढ़ गया है जिसमें EMI अधिक SBI उपरोक्त द्वारा काटी गई है। जो कि असंवैधानिक है। अतः निवेदन किया गया है कि नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) अंकित करने की कृपा करे ।

3. इस मामले में अभियुक्त की अग्रिम जमानत सत्र न्यायालय से दिनांक 06.08.2021 को स्वीकार की गयी है।

4. आवेदक/वादी की तरफ से जमानत के निरस्त किये जाने का जो आधार लिया गया है वह संक्षेप में इस प्रकार है कि उसके ऋण खाता संख्या 37092825374 स्थित एस.बी.आई. पी. बी. बी. राबर्ट्सगंज एवं एस.बी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स वाराणसी द्वारा फर्जी वाड़ा एवं धोखा घड़ी करते हुए उसके ऋण खाते में मु0 4697/-रु० कर्ज के रूप में बढ़ाते हुए निकासी कर लिया गया जिसमें उसका फर्जी हस्ताक्षर एवं नामिनी के रूप में उसकी पत्नी का नाम व पता भी गलत व फर्जी रूप से भरकर नुमाइशी पालिसी वाण्ड तैयार कर उसको उसकी छाया प्रति दे दी गयी। उसके द्वारा दर्ज कराये गये एफ.आई. आर. पर पुलिस ने विवेचना किया जिसमें एस.बी.आई.पी.बी.बी. के प्रबन्धक अरकांश वर्नवाल एवं एस.बी.आई जनरल इन्श्योरेन्स के प्रबन्धक विनय यादव प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये इसी तथ्य के सत्यापन हेतु विवेचक ने उसका हस्ताक्षर नमूना एवं उसको जारी किये गये कूट रचित फर्जी पालिसी वाण्ड पर अंकित फर्जी हस्ताक्षर को मिलान हेतु विधिविज्ञान प्रयोगशाला रामनगर वाराणसी भेज गया, जहां जांचोपरान्त पाया गया कि क्यू-1- एस.बी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स व एस.1 हस्ताक्षर नमूना वादी चित्रसेन सिंह का परीक्षण परिणाम "जिस व्यक्ति ने नमूना हस्ताक्षर एस-1 को लिखा है उसने विवादित हस्ताक्षर क्यू 1 को नहीं लिखा हैं।" और इसी आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्त गण के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। अग्रिम जमानत की सुनवाई के समय उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि वादी के हस्तलेख के नमूने लेकर एवं फर्जी पालिसी वाण्ड पर अंकित हस्ताक्षर को विधिविज्ञान प्रयोगशाला में मिलान हेतु प्रेषित किया गया है। यदि ऐसा है और आवेदक के द्वारा जालसाजी करने का तथ्य प्रकट होता है तो आवेदक/अभियुक्त की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी जावेगी। जमानत की शर्तों के आदेश के क्रम संख्या- 4 में भी यह बात उल्लिखित है कि आवेदक "विचारण के प्रारम्भ की अवस्था आरोप विरचित होने के दिनांक एवं 313 सी.आर.पी. सी. के अन्तर्गत परीक्षण के दिनांक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा" परन्तु आवेदक द्वारा जानबूझकर माननीय अदालत द्वारा पारित जमानत आदेश की शर्तों का भी उल्लंघन/अवहेलना किया जा रहा है अवर न्यायालय

.....3

द्वारा भी अनुपस्थिति के कारण अभियुक्तगण पर गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया है तथा अवर न्यायालय की कार्यवाही भी बाधित हो गयी है। याचना की गयी है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अभियुक्त की जमानत निरस्त किया जावे।

5. उक्त प्रार्थना पत्र विपक्षी/अभियुक्त की ओर से मौखिक आपत्ति करते हुए कथन किया गया है कि उसके द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः निवेदन है कि जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने असलम बाबा लाल देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर. 1993 एस सी 1 के मामले में यह अवधारित किया है कि रघुबीर सिंह बनाम बिहार राज्य ए.आई.आर. 1987 एस सी 149 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार धारा 437(5) व 439(2) दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत जमानत अग्रलिखित दशाओं में निरस्त की जा सकती है -

1. अभियुक्त ने समान दाण्डिक गतिविधि में संलिप्त होकर अपनी स्वतंत्रता का दुरूपयोग किया हो,
2. विवेचना के दौरान हस्तक्षेप कर रहा हो,
3. साक्ष्य अथवा साक्षियों को तोड़ने-मरोड़ने व प्रभावित करने का प्रयास कर रहा हो,
4. साक्षियों को धमकी दे रहा हो अथवा इस प्रकार की समान गतिविधियों में सम्मिलित हो जिससे सम्यक रूप से की जा रही विवेचना पर प्रभाव पड़े,
5. उसकी किसी अन्य देश में भागने की सम्भावना हो,
6. जांच करने वाली एजेंसी से बचने के लिए स्वयं को छिपा लिया हो अथवा भूमिगत हो गया हो एवं
7. अपने जमानतियो की पहुंच से दूर होने का प्रयास कर रहा हो।

इसके अतिरिक्त अन्य आधार भी हो सकते हैं किन्तु यह याद रखना चाहिए कि जमानत का निरस्तीकरण एक कठोर आदेश है क्योंकि यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है और आसानी से ऐसा आदेश नहीं किया जाना चाहिए।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने मंजीत प्रकाश बनाम शोभा देवी ए.आई.आर. 2008 एस सी 3032 के मामले में ''असलम बाबालाल देसाई'' वाले उक्त मामले में प्रतिपादित सिद्धान्तों की पुष्टि की है।

.......4

9. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने विपिन कुमार धीर बनाम पंजाब राज्य 3021 लीगल ईगल एस सी 603 के मामले में दौलत राम बनाम हरियाणा राज्य (1995) 1 एस सी सी 349, एक्स बनाम तेलंगाना राज्य (2018) 16 एस सी सी 511 के मामलों को उल्लिखित करते हुए यह अवधारित किया है कि जहां एक बार जमानत स्वीकार कर ली गयी हो तो निरस्त किये जाने के लिए अत्यधिक ठोस एवं विह्वल करने वाली परिस्थितियां होनी चाहिए। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री से न्यायालय का समाधान होना चाहिए कि ऐसे अभियुक्त के द्वारा न्याय प्रशासन के मार्ग में बाधा पहुंचाने, उससे भागने अथवा अभियुक्त को दी गयी स्वतंत्रता के दुरूपयोग की सम्भावना हो।

10. वर्तमान मामले में यह आधार लिया गया है कि अग्रिम जमानत की सुनवाई के समय यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि वादी के हस्तलेख के नमूने लेकर एवं फर्जी पालिसी वाण्ड पर अंकित हस्ताक्षर को विधिविज्ञान प्रयोगशाला में मिलान हेतु प्रेषित किया गया है, यदि ऐसा है और आवेदक के द्वारा जालसाजी करने का तथ्य प्रकट होता है तो आवेदक/अभियुक्त की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी जावेगी तथा अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस कारण विचारण न्यायालय द्वारा उसकी अनुपस्थिति में उसके विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया है।

11. विचारण न्यायालय पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त दिनांक 22.01.2026 तक व्यक्तिगत या जरिए अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होता रहा है। दिनांक 03.02.2026 को अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से उसकी उपस्थिति के बावत हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अस्वीकृत कर उसके विरूद्ध एन.बी.डब्लू. जारी किया गया तथा दिनांक 13.03.2026 के लिए तलब करते हुए पत्रावली सुनवाई प्रार्थना पत्र 07 ब हेतु नियत की गयी। दिनांक 13.03.2026 को अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर एन.बी.डब्लू निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकृत करते हुए पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र 07 ब दिनांक 20.05.2026 नियत की गयी। इससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा जानबूझकर न्यायालय द्वारा पारित शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

12. जहां तक अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा जो तथ्य हस्ताक्षर के नमूने के सम्बन्ध में दिया गया है, वह उनके द्वारा एक समान्य विचार व्यक्त किया गया है, परन्तु जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित करते समय मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा जो जमानत की शर्तें निर्धारित की गयी हैं, उसके अन्तर्गत हस्ताक्षर

......5

के नमूने के सम्बन्ध में दी गयी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है। मामले में अभी परीक्षण होना शेष है तथा परीक्षण होने के उपरान्त ही विशेषज्ञों की राय को न्यायालय अपने निर्णय में अंतिम रूप से फैसला दे सकता है।

13. अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना मैं पाता हूॅं कि आवेदक/वादी की तरफ से प्रस्तुत जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/वादी की तरफ से प्रस्तुत जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र (दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या- 519/2024) निरस्त किया जाता है।

दिनांक- 14.07.2026

(राम सुलीन सिंह)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र